प्रेषक :

जनार्दन प्रसाद यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6
वाराणसी।

सेवा में,

श्रीराम प्रसाद
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा :

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।

विषय : एल. एल. एम. उपाधि के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य किये जाने हेतु आहूत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या/आई. वी.–3409/एडमिन. (ए) दिनांकित अगस्त 2019 के माध्यम से इस तथ्य पर स्पष्टीकरण चाहा गया है कि मेरे द्वारा तीन अग्रिम वेतन–वृद्धि हेतु प्रेषित एल. एल. एम. प्रपत्रों से तीन अग्रिम वेतन–वृद्धि सुनिश्चित् किये जाने हेतु ग्राह्यता कि तिथि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि अंकित नहीं है, बावजूद इसके एल. एल. एम. अंतिम वर्ष का अंक–पत्र जारी किये जाने की तिथि 29.08.2009 है एवं सनद (सार्टिफिकेट) की तिथि 11.02.2008 अंकित है। जब कि सामान्य रूप से अंक–पत्र जारी होने की तिथि सनद (सार्टिफिकेट) जारी होने की तिथि के पूर्व की होती है। महोदय इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि अंक–पत्र तथा सनद (सार्टिफिकेट) जारी किये जाने हेतु ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि सनद (सार्टिफिकेट) जारी किये जाने की तिथि के पूर्व ही अंक–पत्र जारी किया जाता हो। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी लाभ अथवा पद हेतु आवेदन किये जाने के सन्दर्भ में अंक–पत्र की तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होने के सन्दर्भ में वह तिथि मानी जाती है, जिस तिथि को सनद (सार्टिफिकेट) जारी हुआ है।

आप द्वारा इस तथ्य पर भी स्पष्टीकरण चाहा गया है कि मेरे द्वारा प्रेषित एल. एल. एम. अंतिम वर्ष के अंक–पत्र से स्पष्ट होता है कि मैं पूर्व छात्र के रूप में नामांकित होकर एक से अधिक बार एल. एल. एम. अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूँ। महोदय इस सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि वर्ष 2005 में मेरी नियुक्ति प्रबन्धक (विधि) भूमि विकास बैंक के पद पर हो जाने के कारण एल. एल. एम. हेतु पर्याप्त समय के अभाव में अनिवार्य लघु – शोध पत्र (डिर्जेटेशन) निर्धारित समय के अन्दर पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इसी आधार पर वर्ष 2006 में पूर्व छात्र के रूप में अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् अंक–पत्र दिनांक 29.08.2009 को तथा सनद (सार्टिफिकेट) दिनांक 11.02.2008 को जारी हुआ है। एल. एल. एम. प्रथम वर्ष, अंतिम वर्ष तथा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त अनुमति की प्रमाणित छाया प्रति पूर्व में आवेदन के साथ प्रेषित है।

आख्या महोदय जी की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय

दिनांकः 05.10.2019

Janardan Prasad Yadav

जनार्दन प्रसाद यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6
वाराणसी।

संलग्नक :

1–प्रमाणित छाया प्रति अंकपत्र एल. एल. एम. प्रथम वर्ष
2–प्रमाणित छाया प्रति अंकपत्र एल. एल. एम. द्वितीय वर्ष
3–छाया प्रति पूर्व प्रेषित आवेदन–पत्र।

VEER BAHADUR SINGH

PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR

STATEMENT OF MARKS

Regular

Examination : LL.M. Part 1st - 2004

Name : JANARDAN PRASAD YADAV

Roll No. : 749007

Father's/Husband's Name : RAM PALAT YADAV

College/Centre : TILAKDHARI POST GRADUATE COLLEGE, JAUNPUR

Sl. No.	Name of Papers	Maximum Marks	Minimum Marks	Marks Obtained
I.	Jurisprudence	100	50	65
II.	Indian Constitutional Law	100	50	70
III.	Criminology/Penology	100	50	60
IV.	Labour Management Relations	100	50	56
	Grand Total :	400	200	251

Grand Total (in words) : Two Hundred Fifty One

Checked by : 1. ....

2. ....

RESULT : PASSED

Date : 16/08/2005

Principal

Principal T. D. College Jaunpur

Controller of Examination

Photocopy attested.

Sl.No. 14

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY

TILAK DHARI POST GRADUATE COLLEGE, JAUNPUR (U.P.)

LL.M. Final Year

Examination : 2006

Roll No. 100452

Statement of marks obtained by Shri/~~Km./Smt.~~ Janardan Prasad yadav

Enroll. No.

Father's Name Shri Ram Palat yadav

~~Regular~~/Ex-Student

S.No.	Name	Maximum Mark	Minimum Mark	Theory	Practical/ Viva	Total	Result
1.	Research Methodology	100	50	—	58	58	Passed/~~Failed~~
2.	Principles of Legislation Methods and Interpretation of Statutes	100	50	62		62	Ist Division
3.	(B) Environmental Law	100	50	58		58	
4.	(K) Dissertation	100	50	85		85	263
				Marks obtained in L.L.M. Part-1			251
						Grand Total	514

Marks in words : Five hundred fourteen

Photocopy attested

Prepared by : Chaurasiya 06.08.09

Checked by : R.K. Singh 06/08/2009

Principal 29/8/09

(Seal)

Principal

T. D. College

Jaunpur

प्रेषक,

जनार्दन प्रसाद यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

सेवा में,

श्री राम प्रसाद,
डिप्टी रजिस्ट्रार,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषयः अधोहस्ताक्षरी के एल0एल0एम0 डिग्री से सम्बन्धित अभिलेखों को सेवा पुस्तिका पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 17861/IV-3409/Admin. (A) दिनांक 15.12.2018 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मैनें वर्ष 2006 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर एलएल. एम. अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर एलएल.एम. की उपाधि प्राप्त किया है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि एलएल.एम. उपाधि से सम्बन्धित शैक्षणिक अभिलेखों को प्रार्थी की सेवा पुस्तिका में सम्मिलित कराए जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः– 18-12-18

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(जनार्दन प्रसाद यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

संलग्नकः
1. एलएल. एम. प्रथम वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति।
2. एलएल. एम. अन्ति वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति।
3. मा0 उच्च न्यायालय के अनुमति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
4. एलएल. एम. उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति।

Office of the District Judge Varanasi
No. 2831/I Date 19-12-18
Forwarded.

(हस्ताक्षर) 19/12/18
District Judge
Varanasi
19-12-18

प्रेषक,

जनार्दन प्रसाद यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

सेवा में,

श्री राम प्रसाद,
डिप्टी रजिस्ट्रार,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषयः शासनादेश सं0– 6/2018/149/दो–4–2018–45 (12) टी0सी0 दिनांक 03.04.2018 एवं ततृक्रम में जारी शुद्धिपत्र सं0– 07/18/149ए/दो–4–2018–45 (12)/91 टी0सी0 दिनांक 04.04.2018 के अनुपालन में एल0एल0एम0 उपाधि धारक को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं0– 6/2018/149/दो–4–2018–45 (12) टी0सी0 दिनांक 03.04 2018 एवं ततृक्रम में जारी शुद्धिपत्र सं0– 07/18/149ए/दो–4–2018–45 (12)/91 टी0सी0 दिनांक 04.04.2018 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी अग्रिम तीन वेतनवृद्धियां पाने का अधिकारी हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.06.2006 को न्यायिक सेवा का कार्यभार ग्रहण किया गया है। दिनांक 23.12.2013 से प्रार्थी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रोन्नत होकर वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के द्वारा सन् 2006 में एल0एल0एम0 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर एल0एल0एम0 की उपाधि प्राप्त की गई है; जिसके सम्बन्ध में प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न हैं। वर्तमान में उपरोक्त उल्लिखित अद्यतन शासनादेश से अधोहस्ताक्षरी तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां पाने का अधिकारी है। प्रार्थी को अभी तक एल0एल0एम0 उपाधि की तीन वेतनवृद्धियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित शासनादेश के प्रकाश में तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांकः– 18.12.18

संलग्नकः समस्त आवश्यक प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां।

भवदीय,

Janardan Prasad Yadav
(जनार्दन प्रसाद यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

Office of the District Judge Varanasi
No. 2832/I Dated 19.12.18
Forwarded.

District Judge
Varanasi
19.12.18